


XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक विविध 301-दो/15

जिला - नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-3-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया । विद्वान अधिवक्ता द्वारा कलेक्टर, नीमच के पत्र क्रमांक 1425/आर.टी.सी./15 दिनांक 28-1-15 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर द्वारा प्र0क0 23/अ-21/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 28-2-14 के पुनरावलोकन की अनुमति दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया है ।</p> <p>2- विद्वान शासकीय अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । विचारोपरांत पुनरावलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि कलेक्टर, उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण में विधिवत आदेश पारित करें । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 सदस्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

संस्थापन का दिनांक 6-02-15

विनष्टीकरण के लिये नियत दिनांक

निर्णय का दिनांक 4-3-15

अभिलेखागार क्रमांक

भाग-अ

प्रकरण क्रमांक रिज्यू अनुमान 801-II-15

पीठासीन न्यायाधीश श्री लालू लाल सिंह

पक्षकार

अखण्डशान कलेक्टर नीमचिरुद्ध जीवेन्द्र सिंह

ग्राम

तहसील

जिला नीमच

अभिभाषक

प्रार्थी श्री

प्रतिप्रार्थी

अधिनियम एवं धारा जिसके अन्तर्गत प्रकरण वहां प्रस्तुत हुआ

अन्तिम आदेश का सार

4-3-15 (रिज्यू अनुमान की गई)

पूर्ववर्ती प्रकरणों का सन्दर्भ :

आयुक्त/अति. आयुक्त का प्र.क्र.

जिलाधीश/अनुविभागीय अधिकारी